

## अध्याय IV : कार्य एवं सैन्य अभियंता सेवाएँ

### 4.1 अतिरिक्त आवास इकाइयों के निर्माण पर परिहार्य व्यय।

जे सी ओ के लिए विवाहित आवास की आवश्यकता का सही ढंग से आकलन करने में चेन्नई में स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों की विफलता के कारण ₹ 1.79 करोड़ की लागत पर 17 आवासीय इकाइयों का आवश्यकता से अधिक निर्माण हुआ और बाद में फील्ड क्षेत्रीय परिवार आवास के रूप में उनका पुनः विनियोग हुआ। एक अन्य मामले में, स्टेशन कमांडर पुणे ने भारत सरकार के अनुमोदन के बिना ₹ 47 लाख की लागत पर बनाए गए चार लेफ्टिनेंट आवासीय इकाइयों को ब्रिगेडियर और ऊपर के अधिकारियों के लिए 'अतिथि कमरे' के रूप में विनियोजित कर दिया।

रक्षा सेवाओं के लिए स्केल ऑफ़ ऍकमोडेशन में यह प्रावधान है कि "स्केल का अस्तित्व न तो आवश्यकता का साक्ष्य निर्धारित करता है और न ही नये आवास के निर्माण के लिए प्राधिकार है तथा सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सी एफ़ ए) द्वारा मंजूरी दिए जाने से पहले कार्य सेवा और इसके दायरे की आवश्यकता की ठीक से जाँच और इसका औचित्य सिद्ध किया जाना चाहिए"। अक्टूबर 2001 में, रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) ने निर्देश जारी किए थे कि जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया गया था, के अलावा अन्य उपयोग के लिए नवनिर्मित भवनों का विनियोग एक नई प्रथा को जन्म देगी और इसके लिए भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है। इन निर्देशों में यह भी प्रावधान था कि जो निर्देशों के खिलाफ जाएगा उनके खिलाफ अनुशासत्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

ऊपर दिए गए निर्देशों के उल्लंघन में, हमने मुख्यालय पूणे, सब एरिया (नवम्बर 2012) और विवाहित आवास परियोजना (एम ए पी) चेन्नई (जनवरी 2012) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा कि आवश्यकता से अधिक आवास इकाइयों (डी यू) को मंजूरी दी गई और उनका निर्माण किया गया और बाद में भारत सरकार की मंजूरी के बिना अन्य प्रयोजनों के लिए फिर से विनियोजित किया गया।

#### मामला-1

स्टेशन कमाण्डर, चेन्नई (जून 2009) की सिफारिश के आधार पर, रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2010 में विवाहित आवास परियोजना (एम ए पी) के फेस II में ₹ 42.52 करोड़ की लागत से चेन्नई में 200 डी यू सहित विभिन्न स्टेशनों पर विवाहित आवास के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी।

200 डी यू की संस्वीकृत आवास में 18 डी यू अधिकारियों के लिए, 106 डी यू जूनियर कमीशन अधिकारी (जे सी ओ) के लिए और 76 डी यू अन्य रैंक (ओ आर) के लिए शामिल थे। मई 2014 तक कार्य प्रगति (अधिकारियों के लिए 100%, जे सी ओ के लिए 85% और अन्य रैंक के लिए 87%) पर था। परियोजना प्रबंधक, एम ए पी चेन्नई की लेखा परीक्षा जाँच (जनवरी 2012) में पता चला कि चेन्नई सेना स्टेशन में जे सी ओ के लिए शुद्ध कमी केवल 50 डी यू थी। हालांकि, स्टेशन मुख्यालय चेन्नई ने जे सी ओ के लिए 106 डी यू के निर्माण के लिए सिफारिश की जिसको रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.91 करोड़ की लागत पर 56 डी यू का अधिक प्रावधान किया गया।

स्टेशन मुख्यालय ने (जून 2012) लेखा परीक्षा तर्क को स्वीकार कर लिया और कहा कि स्टेशन मुख्यालय, चेन्नई (अक्टूबर 2012) द्वारा प्रस्तावित और सेना मुख्यालय के अनुरोध (जनवरी 2013) पर जे सी ओ के लिए 56 डी यू के अधिक प्रावधान के खिलाफ 36 डी यू को संविदा से हटा दिया गया था। आगे यह कहा गया कि, 106 डी यू में से केवल 70 डी यू का निर्माण किया जा रहा था जिसमें

से आवश्यकता से अधिक 20 डी यू को जे सी ओ के लिए फील्ड क्षेत्र परिवार आवास (एफ ए एफ ए) में परिवर्तित किया जाएगा। पुनः स्टेशन मुख्यालय ने जुलाई 2013 में स्पष्ट किया कि अतिरिक्त 20 डी यू को मंत्रालय द्वारा 2011 में अधिकृत डी एस सी पलटनों के तीन जे सी ओ को तीन डी यू आंबटित की जाएंगी और मौजूदा 17 पुरानी जे सी ओ आवासों के खिलाफ बचे हुए 17 डी यू को जे सी ओ के लिए नियमित रूप से आवास के रूप में उपयोग किया जाएगा। मौजूदा पुरानी 17 जे सी ओ आवासों को एफ ए एफ ए के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। उपर्युक्त प्रस्ताव अधिशेष 17 आवासों की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाएगा क्योंकि नये डी यू जे सी ओ को आंबटित किये जाएंगे और पुराने जे सी ओ आवासों को एफ ए एफ ए के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

इस प्रकार, स्टेशन मुख्यालय, चेन्नई द्वारा आवश्यकता से अधिक के आंकलन का पता सेना मुख्यालय या रक्षा मंत्रालय को मंजूरी देते समय न लगने के परिणामस्वरूप कम से कम 17 आवश्यकता से अधिक जे सी ओ के विवाहित आवासों का निर्माण ₹ 1.79 करोड़ की लागत से हुआ। लेखा परीक्षा द्वारा बताये जाने पर ही 36 इकाइयाँ जिनकी लागत ₹ 3.80 करोड़ थी को अनुबंध से हटा दिया गया था।

इसके अलावा, तथ्य ये है कि फील्ड क्षेत्र परिवार आवास के रूप में 17 जे सी ओ के मौजूदा आवास के पुनः विनियोजन नये चलन की शुरुआत दिखाता है जिसके लिए भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता थी, जो कि नहीं लिया गया था।

#### **मामला- II**

रक्षा मंत्रालय ने एम ए पी के फेस 1 के तहत सेना स्टेशन पुणे में 84 मेजर और ऊपर, चार लेफ्टिनेट, 27 जे सी ओ और 250 अन्य रैंकों के लिए ₹ 38.53 करोड़ की लागत पर विवाहित आवास के प्रावधान के लिए मंजूरी (सितम्बर 2005) दी। महानिदेशक, एम.ए.पी ने जून 2006 में ₹ 27.25 करोड़ की लागत से उपर्युक्त डी यू के निर्माण के लिए एक अनुबंध किया जो कि मार्च 2009 में रद्द कर दिया गया था क्योंकि ठेकेदार काम को पूरा करने में विफल रहा था। शेष कार्यों के लिए ₹ 31.45 करोड़ की अनुमानित लागत पर सितम्बर 2009 में एक ठेका किया गया। चार लेफ्टिनेट डी यू का कार्य ₹ 47 लाख की लागत पर मई 2011 में पूरा हो गया और सितम्बर 2011 में उसे मुख्यालय दक्षिण कमान को सौंप दिया गया। स्टेशन कमांडर ने चार लेफ्टिनेटों के डी यू को 1 मार्च 2012 से 28 फरवरी 2014 तक अतिथि कमरों में इनके पुनः विनियोजन की मंजूरी (फरवरी 2012) दी।

लेखा परीक्षा जाँच में पता चला (नवम्बर 2012) कि यद्यपि पुणे स्टेशन पर लेफ्टिनेटों के लिए केवल दो डी यू की ही कमी थी, स्टेशन कमांडर ने अन्य डी यू के साथ स्टेशन परिवार शिविर में चार डी यू के निर्माण की सिफारिश की थी। आगे, स्टेशन कमांडर ने वास्तव में सितम्बर 2006 में चार लेफ्टिनेटों की डी यू की जगह को स्टेशन परिवार कैम्प से दक्षिणी कमान आफिसर मैस परिसर में बदल दी और फरवरी 2012 में इनका अतिथि कमरों के रूप में पुनः विनियोजन कर दिया। यह इंगित करता है कि दक्षिणी कमान अधिकारी मैस परिसर में लेफ्टिनेट आवास का निर्माण विशेष रूप से ब्रिगेडियर और ऊपर के लिए अतिथि कमरों के रूप में पुनः विनियोजन करने के उद्देश्य बनाये गये थे, यद्यपि मंजूरी स्टेशन परिवार कैम्प पुणे में निर्माण के लिए ली गई थी। इसलिए लेफ्टिनेटों के लिए चार डी यू की साईट में बदलाव अनियमित था, तथा इनका पुनः विनियोजन करना रक्षा मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन था।

लेखा परीक्षा द्वारा मामले को बताये जाने पर (नवम्बर 2012), स्टेशन मुख्यालय ने बताया कि मेप फेस-1 के तहत कार्य की मंजूरी ए वी सिंह कमिटी रिपोर्ट के कार्यान्वयन होने से पहले ही हो गयी थी। आगे यह कहा गया कि इस स्टेशन में तैनात लेफ्टिनेट रैंक के अधिकतर अधिकारी अविवाहित थे और इसलिए विवाहित आवास अतिरिक्त थे जिन्हें अतिथि कमरों के रूप में पुनः विनियोजित किया गया था।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ए वी सिंह कमिटी रिपोर्ट में मुख्य रूप से सेना में अधिकारी संवर्ग के पुनर्गठन और बटालियन/ब्रिगेड कमांडर की उम्र प्रोफाइल को कम करने के माध्यम से इष्टतम लड़ाकू प्रभावशीलता को प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया था तथा इस कार्य की मंजूरी (सितम्बर 2005) से पहले ही यह दिसम्बर 2004 में ही कार्यान्वित हो चुका था और इस प्रकार अधिक डी यू की निर्माण के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं थी।, स्टेशन मुख्यालय ने इसमें आगे कहा कि इस स्टेशन में तैनात अधिकतर लेफ्टिनेंट अविवाहित थे और इसलिए विवाहित आवास अधिशेष हो गये और यह इंगित करता है कि विवाहित आवास के लिए डी यू के निर्माण के प्रस्ताव का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया था और उन डी.यू को अधिकारियों के लिए अतिथि कमरों के रूप में उपयोग करने का इरादा था।

इस प्रकार ₹ 47 लाख की लागत पर लेफ्टिनेंटों के लिए चार डी यू का निर्माण अनियमित था और इसका पुनः विनियोजन रक्षा मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन था।

अप्रैल 2014 में मंत्रालय को मामला भेजा गया था; उनके जवाब प्रतीक्षित है। (अक्टूबर 2014)

#### 4.2 ठेकेदार को खाली स्थल सौंपने में हुए अत्यधिक विलंब के कारण वृद्धि प्रभारों का परिहार्य भुगतान।

दुर्ग अभियंता गुवाहटी ने खाली स्थल की उपलब्धता के लिए गलत प्रमाणपत्र जारी किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को स्थल सौंपने में विलंब हुआ और कार्य की सम्भावित समापन तिथि के अन्दर कार्य समापन हेतु ठेकेदार को देय सामान्य वृद्धि प्रभार के अतिरिक्त ₹ 4.58 करोड़ के अतिरिक्त वृद्धि प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

सैन्य अभियन्ता सेवाओं की संविदा नियमावली 2007 निर्दिष्ट करती है कि निविदा स्वीकार करने से पहले, दुर्ग अभियंता (जी.ई.) से इस सम्बन्ध में प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए कि स्थल समस्त बाधाओं से मुक्त एवं सभी निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध है। इसका अधिक पुष्टीकरण पैरा 17.1.3. (डी) में किया गया है, जिसमें समय विस्तारण को कम करने के लिए निविदा प्रक्रिया से पहले स्थलों/भवनों को सौंपने हेतु प्रयोक्ताओं के साथ एक सुविचारित कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नारंगी में गोलाबारूद भण्डारण स्थान के निर्माण के लिए, दुर्ग अभियन्ता गुवाहटी ने खाली उपलब्ध स्थल हेतु एक गलत प्रमाणपत्र जारी किया जिससे वृद्धि प्रभार के रूप में ₹ 4.58 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान हुआ। इस मामले की चर्चा नीचे की गई है:-

दिसम्बर 2006 में पूर्वी कमान मुख्यालय में आयोजित बैठक में अधिकारी बोर्ड (बी.ओ.ओ.) ने 14 फील्ड गोलाबारूद डिपो (एफ.ए.डी.) नारंगी (गुवाहटी) में 13 गोलाबारूद भण्डारण स्थान (विस्फोटक भण्डार गृह (ई.एस.एच.)/बारूदखाना (मैग)) एवं संबद्ध अवसंरचना के निर्माण हेतु सिफारिश की। रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) ने ₹ 23.73 करोड़ की लागत पर 13 गोलाबारूद भण्डारण स्थानों के निर्माण हेतु मार्च 2007 में संस्वीकृति प्रदान की। नवम्बर 2007 में दुर्ग अभियंता गुवाहटी ने कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर शिलोंग एवं मुख्य अभियंता शिलोंग अंचल को इस अभिप्राय से प्रमाणपत्र जारी किया कि सभी निर्माण कार्यों के लिए स्थल उपलब्ध था। तदनुसार मुख्य अभियंता शिलोंग अंचल (सी.ई.एस.जैड.) ने जून 2008 में टाईप 'ए' शेडों<sup>59</sup> अन्य भवनों/अवसंरचना (₹ 25.25 करोड़) के प्रावधान हेतु एक संविदा की। जून 2008 में यह कार्य शुरू हुआ।

<sup>59</sup> टाईप 'ए' शेड विस्फोटक भण्डार गृह का एक वर्गीकरण है।

दिसम्बर 2012 में लेखापरीक्षा ने देखा, कि जून 2008 में संविदा करने एवं कार्य शुरू करने के बावजूद दुर्ग अभियंता गुवाहटी ने वृक्षों की कटाई में विलंब के कारण केवल दिसम्बर 2009 में ठेकेदार को स्थल सौंपा। संविदा करने की तिथि (जून 2008) के बाद स्थल सौंपने में 18 महीने के विलंब के बारे में लेखापरीक्षा टिप्पणी के उत्तर में (दिसम्बर 2013) दुर्ग अभियंता गुवाहटी ने कहा कि यह विलंब जिला वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.)/रक्षा सम्पदा अधिकारी (डी.ई.ओ.) द्वारा सीमांकन, मूल्य निर्धारण एवं नीलामी और वृक्षों की कटाई करने में विलंब के कारण हुआ। उत्तर यह भी दर्शाता है कि कुछ स्थानों पर भवनों को खाली नहीं कराया जा सके जिससे विलंब बढ़ते गये जो केवल जनवरी 2013 में विध्वंस के लिए ठेकेदार को सुपर्द करना था अर्थात् संविदा की देय समापन तिथि के 20 माह उपरान्त। (अप्रैल 2011) इन परिहार्य विलंबों के फलस्वरूप ₹ 4.58 करोड़<sup>60</sup> के वृद्धि प्रभार का भुगतान हुआ, जो ठेकेदार को देय सामान्य वृद्धि प्रभार राशि के अतिरिक्त था, यदि कार्य संभावित समापन तिथि के अन्दर समाप्त किया गया होता। ठेकेदार को किए गए भुगतान से लेखापरीक्षा द्वारा वृद्धि प्रभारों के भुगतान का सत्यापन किया गया।

इस प्रकार, यह मामला प्रकट करता है कि दुर्ग अभियंता ने संविदा करने से पहले खाली स्थल की उपलब्धता हेतु गलत प्रमाणपत्र जारी किया जिससे वृक्षों की कटाई में विलंब के कारण कार्य शुरू करने में परिहार्य विलंब हुआ और परिणामस्वरूप ठेकेदार को देय सामान्य वृद्धि प्रभार की राशि के अतिरिक्त ₹ 4.58 करोड़ के अतिरिक्त वृद्धि प्रभार का भुगतान हुआ।

जून 2014 में यह मामला मंत्रालय को भेजा गया, उनका जवाब प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014)।

### 4.3 अनुचित स्थल के चुनाव के परिणामस्वरूप ₹ 5.49 करोड़ व्यय के बाद कार्य को रोकना

आपूर्ति डिपो अहमदनगर पर, विवाहितों के आवास के अलावा अन्य का निर्माण रक्षा क्षेत्र के अंदर निचले निर्माण स्थल में सिविल क्षेत्र से सीवेज के बहाव के कारण आगे नहीं बढ़ सका। स्थानीय सैन्य प्राधिकारी प्रभावी ढंग से मामले को सिविल अधिकारियों के साथ हल करने में विफल रहे। सैन्य अभियन्ता सेवा के दुर्बल योजना और प्रबंधन के परिणामस्वरूप ₹ 5.49 करोड़ के व्यय के बाद कार्य को पूर्ण होने से पूर्व रोकना पड़ा।

सेना मुख्यालय (सितम्बर 2004) ने ₹ 9.94 करोड़ की लागत से अहमदनगर में आपूर्ति डिपो के लिए विवाहितों के आवास के अलावा अन्य (ओ.टी.एम.) के प्रावधान के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। कार्य को पूरा करने के लिए 156 सप्ताहों का समय निर्धारित किया गया था। कार्य का सम्पादन करने के लिए चीफ इंजीनियर पुणे जोन (सी ई पी जैड) ने मार्च 2005 में ₹ 7.39 करोड़ के लिए मेसर्स मुकुंद एनटरप्राइज मुंबई के साथ एक संविदा किया। कार्य को दो चरणों में किया जाना था यानी प्रथम चरण-दो एकल जूनियर कमीशन अधिकारियों के आवासों का एक ब्लाक और द्वितीय चरण-कार्यालय भवन, भण्डारण आवास, एकल निवास हेतु आवास और जुड़े कार्यों को क्रमशः 14.12.2005 और 14.9.2006 तक पूरा किया जाना था।

हमने देखा (फरवरी 2010) कि संविदाकार ने दुर्ग अभियन्ता (जी.ई.) (अक्टूबर 2005) को सूचना दी थी कि पास की सिविल आवासीय कालोनी का सीवेज, निर्माण स्थल के निचले क्षेत्र में फैल रहा था और क्षेत्र दो से तीन मीटर गहराई तक में अत्यधिक काली कपास मिट्टी से घिरा हुआ था। तत्पश्चात दुर्ग अभियन्ता ने 17 अक्टूबर 2005 को स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों (एल एम ए) को सूचित किया कि सिविल कॉलोनी से निःसृत सीवेज नींव की खाईयों में रिस रहा था और रक्षा भूमि से अपने क्षेत्र में

<sup>60</sup> भुगतान किया गया कुल वृद्धि प्रभार ₹ 8.56 करोड़ - देय सामान्य वृद्धि प्रभार ₹ 3.98 करोड़ = ₹ 4.58 करोड़ ।

सीवेज को मोड़ने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाने का अनुरोध किया क्योंकि यह बुरी तरह से निर्माण कार्य की प्रगति में बाधा कर रहा था।

अहमदनगर नगर निगम (ए एम सी) ने अक्टूबर 2005 में एक बैठक में संयुक्त निरीक्षण के समय रक्षा क्षेत्र के अंदर सीवेज के लिए ढकी पाईप लाईन बनाने तथा इसको एक प्राकृतिक नाले<sup>61</sup> में छोड़ने तक अपनी इच्छा व्यक्त की। स्टेशन कमांडर ने इसकी अनुमति नहीं दी और आपूर्ति डिपो क्षेत्र की सीमा के बाहर से सीवेज के मोड़ने की सलाह दी। मामले पर एल एम ए और ए एम सी के बीच पत्राचार चलता रहा। ए एम सी ने फिर सितम्बर 2007 में पुनः वही प्रस्ताव रखा और भविष्य के रखरखाव का खर्च वहन करने के लिए भी तैयार था। अंततः अक्टूबर 2007 में स्टेशन मुख्यालय के अनुरोध के आधार पर, सब एरिया कमांडर ने रक्षा भूमि में जल निकासी लाईन बिछाने के लिए फरवरी 2009 में ए एम सी को अनुमति दे दी। ए एम सी ने अनुमति प्राप्त करने के तीन वर्ष बाद सितम्बर 2012 में जल निकासी लाईन बिछाने के लिए निविदा की कार्यवाही शुरू की जो इंगित करता है कि एम ई एस/स्टेशन प्राधिकारियों द्वारा मामले को प्रभावी ढंग से नहीं देख गया। सीवेज लाईन का कार्य अगस्त 2014 में पूरा किया गया। ओ टी एम आवासीय निर्माण कार्य के निष्पादन की प्रगति जून 2008 के बाद नहीं हो सकी क्योंकि निचले क्षेत्रों में स्थित इमारतों के कार्य स्थल में सिविल क्षेत्र के आसपास से आने वाले सीवेज के पानी का संचय हो रहा था। उस वक्त कार्य की पहले चरण की प्रगति 32 प्रतिशत और दुसरे चरण की 73 प्रतिशत थी। कमांडर वर्क्स इंजीनियर (सी.डब्ल्यू.ई.) ने सिविल क्षेत्र से सीवेज प्रवाह की वजह से स्पष्ट स्थल की अनुपलब्धता के कारण और संविदा से सम्बंधित मुकदमेबाजी से बचने के लिए, संविदा को समय से पहले समाप्ति के लिए अप्रैल 2012 में सिफारिश की क्योंकि जून 2008 के बाद से कार्य में कोई प्रगति नहीं हो सकी। अंततः ₹ 5.49 करोड़ व्यय करने के बाद संविदा को समय से पहले (मार्च 2013) समाप्त कर दिया गया। संविदा की सूची के अनुसार अधूरे कार्य की लागत ₹ 2.93 करोड़ थी। अगस्त 2014 तक शेष कार्य के लिए कोई नया प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा (फरवरी 2010) टिप्पणी के उत्तर में, मुख्य अभियंता ने सूचित किया कि प्रारंभिक मिट्टी जाँच के समय में इमारतों का सही स्थान तय नहीं था और मिट्टी की जाँच यदृच्छया ढंग से की गई थी। बाद में इमारतों के वास्तविक निर्धारित स्थिति के अनुसार मिट्टी की जाँच की गई और जहाँ पर कुछ इमारतों का निर्माण किया जाना था वहाँ पर मिट्टी की सुरक्षित भार क्षमता कम पायी गयी थी। इससे निर्माण के आरेख में संशोधन करना पड़ा जो दिसम्बर 2005 में किया गया। मुख्य अभियन्ता ने जून 2013 में अपना उत्तर पुनः संशोधित किया और कहा कि मिट्टी की जाँच संविदा के होने के बाद की गई थी और इमारत का केवल संभावित आरेख निविदा में शामिल था। यह इंगित करता है कि संविदा का कार्य मिट्टी की जाँच के बिना शुरू कर दिया था। मुख्य अभियंता ने भी स्वीकार किया कि स्पष्ट स्थल संविदाकर्ता को नहीं सौंपा जा सका क्योंकि सिविल क्षेत्रों से सीवेज पानी का संचय निर्माण स्थल पर हो रहा था। मिट्टी की जाँच और निर्माण हेतु स्पष्ट भूमि एक संविदा को करने से पूर्व अपेक्षित है परन्तु एम. ई.एस. और एल एम ए उपयुक्त स्थल की पहचान करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित समय पर अर्थात् सितम्बर 2006 तक उपयोगकर्ता को मुख्य स्थान योजना के अनुसार निर्मित भवन उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

हमने परियोजना के लिए निचले क्षेत्र स्थित भू-भाग के चयन के कारणों के बारे में पुनःजानकारी माँगी (अक्टूबर 2010) जो की निर्माण स्थल पर सीवेज संचय का मुख्य कारण था। मुख्य अभियन्ता ने उत्तर दिया कि सिविल क्षेत्र से सीवेज का प्रवाह का उल्लेख रेकी व साईटिंग बोर्ड जून 2003 में नहीं था। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एम. ई. एस. के प्रतिनिधि भी उपरोक्त बोर्ड ऑफ ऑफिसर (बी.ओ.ओ.) के सदस्य थे और निर्माण स्थल के निचले क्षेत्र में स्थिति के तथ्य को बी.ओ.ओ. के ध्यान में उन्हें लाना चाहिए था।

<sup>61</sup> भिंगर नाला ।

इस प्रकार एम. ई.एस प्राधिकारी पूर्व प्रशासनिक अनुमति के समय पर इमारतों की योजना/ निर्माण स्थल निर्धारित करते वक्त निचले क्षेत्र के तथ्य को पहचाने एवं प्रशासनिक अनुमति के बाद मिट्टी की आवश्यक जाँच करना और संविदा करने से पहले बाधा मुक्त निर्माण स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रहे। इसके अलावा स्थानीय सैन्य प्राधिकारी भी समय पर सिविल प्राधिकारियों के साथ समन्वय द्वारा सीवर के मामले को हल करने में विफल रहे।

मामला मंत्रालय को जून 2014 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014)।